FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत............सहायक कलक्टर (SDO) बायतु..................मुकाम..................

खेमी दरोगा.....................बनाम..........ठाकराराम दरोगा

किस्म मुकदमा.....रा० आवेदन 111,128 RLR ACT.........नं.......177..........सन्.......2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.6.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ......खेताराम जाखड़...... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111,128 RLR ACT... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....26/6/19.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बयान पत्रावली दिनांक 17/07/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
17/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण एकतरफा। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/08/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

क्रमांक / वाद / 2019 /
प्रार्थीगण
1. खेमी पत्नि

13/08/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जिला डार्यो में व्यस्त होने से मिशल तलब होकर आगामी दिनांक 06/11/19 को पेश हो। ह०

6/11/19 प्रार्थी वकिल उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित /
प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेंग सठ आये हुए हैं प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के सेठों पर जो पुरानी माठे व कणे आए हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के सेठो का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। वर्षात की आवक होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के सेठो को तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी खेत में खेती कर लेते हैं। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बीच में तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर व सम्बंधित भू: अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क रूपये 500/- जमा-कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

ह० 6/11/2019

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 856

दिनांकः– 6/11/19

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. खेमी पत्नि डालुराम वगैरा जाति जाट निवासी धोलानाड़ा बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. ठाकरराराम पुत्र उमाराम वगैरा जाति जाट निवासी धोलानाड़ा बोड़वा तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 177/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धोलानाड़ा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 161/93 रकबा 15.14 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) / उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 857–61

दिनांकः– 6/11/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री खेमी वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री ठाकरराराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO) / उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.12.01 14:24:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: